मॉप-अप राउंड

दिनांक 1 सितम्बर 2018 को दोपहर 2-4 बजे तक

सी.पी.एस., मुम्बई के माध्यम से प्रदेश के जिला/सिविल अस्पतालों में पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु दिशा-निर्देश :

प्रदेश के चिन्हित अस्पतालों का अफिलिएशन सी.पी.एस., मुम्बई के साथ स्त्रीरोग, शिशु स्वास्थ्य, निश्चेतना, जनरल मेडिसीन, एवं मनोरोग विषय में पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने के लिये किया गया है। डिप्लोमा पाठ्यक्रम दो वर्ष की अवधी का होगा तथा इसमें प्रवेश शैक्षणिक सत्र 2018 के लिये दिया जाएगा । पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु कॉउन्सलिंग के दो चक्र पूर्व में आयोजित किये गये थे। चयनित चिकित्सा अधिकारियों को पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु रजिस्ट्रेशन दिनांक 28 अगस्त 2018 तक कराना था किंतु 3 चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा रजिस्ट्रेशन नही करानेके कारण निम्न संस्थाओं में सी.पी.एस. डिप्लोमा की सीट्स मॉप-अप राउंड हेतु उपलब्ध है :-

पी.जी. डिप्लोमा हेतु उपलब्ध सीट्स का विवरण –

- **J P Hospital, Bhopal : One seat in Anesthesia (DA)**
- **District Hospital, Sagar : One seat in Anesthesia (DA)**
- **Mansik Arogyashala, Gwalior: One seat in Psychiatry (DPM)**

सी.पी.एस.डिप्लोमा पाठ्यक्रम में चयन हेतु मापदण्ड एवं पात्रता:-

1. पी.जी. डिप्लोमा में प्रवेश हेतु नीट-2018 क्वालिफाईड इन सर्विस चिकित्सा अधिकारी (नियमित एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा चिकित्सा अधिकारी) को ही पात्रता होगी।
2. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पुरुष चिकित्सा अधिकारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 01 जनवरी 2018 को 45 वर्ष तथा महिला चिकित्सा अधिकारियों के लिए 50 वर्ष होगी ।
3. मॉप-अप राउंड की कॉउन्सलिंग **दिनांक 1 सितम्बर 2018 को दोपहर 2-4 बजे तक** संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं में संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण) के कक्ष में आयोजित की जाएगी।
4. मॉप-अप राउंड की कॉउन्सलिंग में सभी शेष इन सर्विस चिकित्सा अधिकारी भाग ले सकेंगे।
5. जिन चिकित्सा अधिकारियों का चयन पी.जी.डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए पूर्व में हो चुका है किन्तु उनके द्वारा अभी तक प्रवेश नही लिया गया है, उन्हें भी कॉउन्सलिंग में भाग लेने की अनुमति होगी।
6. पाठ्यक्रम में प्रवेश पूर्णतः मेरिट के आधार पर होगा जिसमें नीट के प्राप्तांक तथा ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्र में सेवा हेतु दिये गये लाभ को सम्मिलित कर मेरिट लिस्ट का निर्धारण किया गया है। इसी सूची के आधार पर चिकित्सा महाविद्यालयों में पी.जी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु कॉउन्सलिंग की गई है।
7. पी.जी. डिप्लोमा सीट्स पर कॉउन्सलिंग विभाग में प्रचलित नियमों एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप आरक्षण नियमों का पालन करते हुए की जाऐगी । श्रेणीवार आरक्षण निम्नानुसार दिया जाऐगा:-

श्रेणी	**आरक्षण प्रतिशत**
एस.सी.	16
एस.टी.	20
ओ.बी.सी.	14

8. चिकित्सा अधिकारियों को आरक्षण का लाभ लेने वान्छित प्रमाणपत्र की स्व प्रमाणित प्रति एवं मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

9. राज्य शासन के दिशा निर्देशों के तहत क्रीमीलेयर की परिधि में आने वाले पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नही दिया जाऐगा ।

10. काउन्सलिंग के दौरान चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में डिप्लोमा पाठ्यक्रम एवं जिला/सिविल अस्पताल हेतु अपना विकल्प देना होगा। विकल्प प्रस्तुत करने के बाद इसे परिवर्तित करने की अनुमति नही होगी।

11. पी.जी. डिप्लोमा अवधी के दौरान चिकित्सा अधिकारियों कों वेतन/मानदेय प्राप्त होता रहेगा किंतु इस हेतु किसी भी प्रकार का कोई स्टायपंड नही दिया जाऐगा।

12. पी.जी.पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त चिकित्सा अधिकारियों कों तीन वर्ष की सेवा विभाग/सोसायटी द्वारा विहित आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में देने हेतु निर्धारित प्रपत्र पर बॉंड राशि रूपये 20,000,00/-(रूपये बीस लाख) मात्र का निष्पादन संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश के पक्ष में करना होगा ।

13. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु कॉउन्सलिंग के दौरान कोई शुल्क जमा नही करना है, डिप्लोमा पाठ्यक्रम में चयन के उपरांत आवेदन शुल्क, शैक्षणिक शुल्क तथा अन्य शुल्क का भुगतान संबंधित चिकित्सा अधिकारी को करना होगा । सी.पी.एस., मुम्बई द्वारा निर्धारित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं.	विवरण	राशि (रुपये)
1	आवेदन शुल्क (Application fees)	15,000
2	शैक्षणिक शुल्क (Enrollment and E-learning fees)	50,200
3	टैब एवं पाठ्य सामग्री (Electronic Paperless Device)	50,400
	योग	1,15,600

14. चिकित्सा अधिकारियों को काउन्सलिंग की सूचना विभागीय वेबसाईट के माध्यम से तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन के माध्यम से दी जाऐगी। किसी भी उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से काउन्सलिंग की जानकारी नही दी जाऐगी ।

15. सी.पी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश की अंतिम तिथी **30 अगस्त** 2018 है, किंतु उक्त 3 सीट्स के लिये अंतिम तिथिी को दिनांक 7 सितम्बर 2018 तक बढ़ाने का अनुरोध सी.पी.एस., मुम्बई से किया गया है।।

16. **आवश्यक प्रमाण पत्र :-**

1. M.B.B.S PASSING CERTIFICATE
2. M.B.B.S MARKSHEET
3. M.B.B.S. DEGREE
4. INTERNSHIP COMPLETION CERTIFICATE
5. CASTE CERTIFICATE (if applicable)
6. CASTE CERTIFICATE VALIDITY (if applicable)
7. NON-CREAMY LAYER CERTIFICATE (if applicable)
8. STATE MEDICAL COUNCIL REGESTRATION
9. STATE MEDICAL COUNCIL I Card (if applicable)
10. STATE MEDICAL COUNCIL APPLICATION RECEIPT
11. DOMICILE CERTIFICATE
12. ADDRESS PROOF
13. IN-SERVICE EXPERIENCE CERTIFICATE (Wherever Applicable)
14. NEET PG 2018 SCORE CARD

(राकेश मुंशी)
संयुक्त संचालक, प्रशिक्षण
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं मध्य प्रदेश

Application for CPC Diploma Seat

1. Name of Medical Officer - ____________________________
2. Father's/ Husband's Name - ____________________________
3. Date of Birth (DD/MM/YY) -
4. Address - _____________________________
____
____
5. Email Id - _____________________________
6. Mobile Number -
7. Whether belong to - Gen/Sch Caste/Sch Tribe/OBC
8. Year of MBBS -
9. Whether Reg./Contractual -
10. Experience as on 31.3.2018 - Years ____ Months_____Days______
11. Present place of posting - _______________________________
12. Neet-2018 Score -
13. Whether selected for PG - Yes/No
14. If yes, then give details - _________________________________
____

15. Option for CPS Diploma Seat (In order of preference) :–

S No	Subject	Name of Hospital
1		
2		
3		

Date :
Place :

Name and Signature of MO